निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या :67/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. बाबूलाल जाट पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाट निवासी ग्राम खिजूरिया जाटान, तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
2. शंकर लाल जाट पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाट निवासी ग्राम खिजूरिया जाटान, तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस.

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 67/2023 ब उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम नोपा उर्फ अनोपा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 67/2023 ब उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम नोपा उर्फ अनोपा व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय में 3 नम्बर पक्षकार श्रीमती गीता देवी की ओर से वकील सचिन शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया वाद के विपक्षीगण राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है तथा सहायक कलक्टर के जानकार है जो

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

बगैर तामिल हुए ही दिनांक 24.07.2023 को सहायक कलक्टर के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वाद को खारिज करावाने की जुगत में लगे हुये है। प्रार्थी किसी अन्य कार्य से न्यायालय में गया हुआ था तो उसने प्रतिवादीगण को सहायक कलक्टर के चैम्बर में बैठे देखा । इस पर प्रार्थी अपने साथ आये व्यक्ति को चैम्बर में भेजा तो सहायक कलक्टर विपक्षी को कह रहे थे कि उक्त्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर दो, इस पर पत्रावली को नजदीक तारीख में ले कर खरिज कर दूंगा। उक्त बात सुन कर प्रार्थी को पूरा अंदेशा हो गया है कि सहायक कलक्टर वाद में विपक्षियों का पूरा सहयोग कर रहे है एवं प्रार्थी के वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज करने पर आमदा है। प्रार्थी जब अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में गये तो उसने पाया कि अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी के साथ चैम्बर में बैठ कर चाय पी रहे थे इसमें प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थीगण सहायक कलक्टर के जानकार है तथा ये इस प्रकरण में कोई भी गलत कार्यवाही करवा सकते है । इस पर प्रार्थी तुरन्त न्यायालय में पेशकार के पास गया तो अपनी पत्रावली के बारे में पुछा तो पेशकार ने बताया कि आपकी पत्रावली साहब के साथ चैम्बर में गयी हुई है। इससे प्रार्थी को पूरा भरोसा हो गया कि अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण को खारिज करवा सकते है। प्रार्थीगण सहायक कलक्टर के पास गये तो उन्होंने कहा कि मै इस प्रकरण को खारिज करूंगा। इस पर प्रार्थी ने कहा कि बिना तामिल व बिना किसी आपत्ति के क्यों खारिज करेंगे। इस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मुझे किसी तामिल या प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नही है । मै जो चाहूं कर सकता हूँ। इतने मे सहायक कलक्टर के साथ बैठे हुऐ अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थी को बुरा भला कहा। पीठासीन अधिकारी के रवैये से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है । इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार श्रीमती गीता देवी के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी गीता देवी का अधीनस्थ न्यायालय में बतौर पक्षकार 3 नम्बर पर नाम दर्ज है, परन्तु इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कुल 1 लगायत 8 अप्रार्थी है, किन्तु प्रार्थी ने किसी भी अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहते है। अत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. पीठासीन अधिकारी से बिन्दुवार टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के किसी भी पक्षकार को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)